चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1805
दिनांक : 29-7-2025

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध विधि संस्थान/महाविद्यालय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– **पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एण्ड लॉ (एक वर्षीय) पाठयक्रम में शैक्षिक सत्र 2025–2026 में सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 26.07.2024 के मद संख्या – 05 के सापेक्ष पारित निर्णय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध विधि संस्थानों को विधि संकायान्र्तत पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एण्ड लॉ (एक वर्षीय) पाठयक्रम में शैक्षिक सत्र 2024–2025 में सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपर्युक्त प्रदत्त सम्बद्धता की अवधि दिनांक 30.06.2025 को पूर्ण हो चुकी है।

अतः ऐसे विधि संस्थान/महाविद्यालय जो पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एण्ड लॉ (एक वर्षीय) पाठयक्रम में दिनांक 01.07.2025 से सम्बद्धता विस्तारण कराना चाहते है, को सूचित/निर्देशित किया जाता है वे संस्थान/महाविद्यालय सन्दर्भित पाठयक्रम में दिनांक 01.07.2025 से सम्बद्धता विस्तारण हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन किये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 30.07.2025 तक अपना प्रत्यावेदन प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

29.7.25

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. व्यैक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. व्यैक्तिक सहायक प्रतिकुलपति को मा0 प्रतिकुलपति महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. संकायाध्यक्ष, विधि, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
05. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)